कुरुक्षेत्र

केंद्रीय बजट 2025-26 : विकास के विभिन्न आयाम

भूमिका

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वैश्विक विनिर्माण मंदी के बीच भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 भी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुरूप है, जिसमें वैश्विक विनिर्माण मंदी (यूरोप व एशिया में) और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के बीच लचीले विकास पर ज़ोर दिया गया है। यह वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास, कृषि एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता देता है। विकसित भारत का लक्ष्य भारत को संधारणीयता एवं समानता के साथ एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाना है।

बजट के मुख्य बिंदु

आवंटन में वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा

- वर्ष 2024-25 के 47.16 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की अपेक्षा वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए है। इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपए है।
- 'विकसित भारत 2047' का विज़न 'बुनियादी ढाँचा, सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक सुधारों के माध्यम से सतत् व समावेशी विकास' है।
- इस बार के बजट में ग्रामीण विकास आवंटन 1.87 लाख करोड़ रुपए है जो वर्ष 2024-25 से 5.75% की वृद्धि दर्शाता है।

क्षेत्रवार आवंटन एवं प्राथमिकताएँ

- कौशल विकास एवं उद्यमिता को विगत वर्ष के बजट अनुमान की अपेक्षा इस बार 35% की वृद्धि के साथ प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।
- प्राथमिकता वाले अन्य प्रमुख क्षेत्र ग्रामीण विकास (5.7% की वृद्धि), एम.एस.एम.ई. (4.7% की वृद्धि), कृषि एवं किसान कल्याण और महिला एवं बाल विकास हैं।
- खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी, ग्रामीण विकास, रोज़गार व कौशल कार्यक्रमों के लिए 3.83 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

प्रमुख क्षेत्रवार हस्तक्षेप

- कृषि एवं किसान कल्याण : पी.एम धन-धान्य कृषि योजना का लक्ष्य 100 ज़िलों में एकीकृत कृषि विकास करना है। साथ ही फसल विविधीकरण, संधारणीय कृषि, सिंचाई, कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे तथा कृषि ऋण तक पहुँच पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  - साथ ही, यूरिया सब्सिडी में कमी, जैविक कृषि एवं मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पोषक तत्त्व-आधारित सब्सिडी की ओर रुख किया गया है। पी.एम. कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में उन्नत सिंचाई एवं जल संरक्षण के लिए 8,260 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
- खाद्य प्रसंस्करण एवं ग्रामीण उद्यम : प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार एवं बाज़ार संपर्क के लिए पी.एम. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारि_कीकरण (PMFME) योजना के तहत 4.8% की वृद्धि की गई है।
- ग्रामीण रोज़गार और आजीविका : बेहतर क्रियान्वयन एवं परिसंपत्ति सृजन पर ज़ोर देते हुए मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का धन आवंटन बरक़रार रखा गया है। इसके अतिरिक्त, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत महिला उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए आवंटन में 26.3% की वृद्धि की गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

भूमिका

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के रोज़गार एवं सकल घरेलू उत्पाद के लिए महत्त्वपूर्ण है। समावेशी विकास एवं आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि, एम.एस.एम.ई., मत्स्यपालन एवं आत्मनिर्भरता पहल पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके लिए प्रमुख उपायों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाव देना, उपभोग में वृद्धि करना तथा आर्थिक गतिविधियों को मज़बूत करने के लिए राजकोषीय नीतियाँ शामिल हैं।

आर्थिक विकास के लिए सरकार की राजकोषीय रणनीति

- सरकार का लक्ष्य राजस्व संग्रह एवं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके आर्थिक विकास को गति देना है। उच्च कर संग्रह लक्ष्य सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देने में सक्षम करता है जो बदले में भारत जैसी उपभोग-संचालित अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि करता है।

कराधान एवं राजस्व लक्ष्य

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 42.70 लाख करोड़ रुपए का महत्त्वाकांक्षी राजस्व संग्रह लक्ष्य रखा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि दर्शाता है। इसका विवरण इस प्रकार है-
  - प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य 25.20 लाख करोड़ रुपए (आयकर और कॉर्पोरेट कर से) है।
  - अप्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य 17.50 लाख करोड़ रुपए (जी.एस.टी., उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क से) है।
- उच्च कर राजस्व से सार्वजनिक निवेश के लिए अधिक राजकोषीय संभावना सुनिश्चित होती है जिससे सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं, बुनियादी ढाँचे एवं कल्याण कार्यक्रमों के लिए अधिक धन आवंटित करने में मदद मिलती है।

आर्थिक विकास एवं संबंधित चुनौतियाँ

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत की जी.डी.पी. वृद्धि दर का अनुमान इस प्रकार है-
  - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए : 6.4% (NSO) तथा 6.6% (RBI)
  - वित्त वर्ष 2025-26 के लिए : 6.7% (RBI)
- वृद्धि की सकारात्मक प्रवृत्ति के बावजूद पिछली दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में मंदी देखी गई है। इसके लिए दीर्घकालिक वृद्धि को बनाए रखने के उद्देश्य से निवेश, उपभोग एवं निर्यात में मज़बूत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- वर्तमान में आर्थिक विकास से संबंधित प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:
  - ग्रामीण मांग में गिरावट (विशेषकर कृषि-निर्भर क्षेत्रों में)
  - एम.एस.एम.ई. एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में धीमी वृद्धि से रोज़गार सृजन पर प्रभाव
  - आपूर्ति शृंखला की अड़चनें (विशेषकर रसद एवं भंडारण में)
- इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण उद्यमियों के लिए वित्तीय पहुँच बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू किए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए बजट में किए गए उपाय

- सरकार ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये विगत वर्ष की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए अधिक है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, बाज़ार संपर्क में सुधार करना एवं किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।

- इससे संबंधित प्रमुख पहलों में शामिल हैं :
  - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण का विस्तार : के.सी.सी. ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है जिससे देश भर के 7.75 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। यह पहल किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करती है जिससे उन्हें इनपुट लागत का प्रबंधन करने, बेहतर तकनीक में निवेश करने और वित्तीय संकट को कम करने में मदद मिलती है।
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना : इस योजना का उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाना और क्षेत्रीय कृषि असमानताओं को कम करना है। इसमें निम्न उपज वाले 100 ज़िलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाएंगे-
  - बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक एवं सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता करना
  - फसलोपरांत होने वाली हानियों को रोकने के लिए भंडारण एवं रसद सहायता में वृद्धि करना
  - किसानों को उचित मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार पहुँच में सुधार करना
- कपास एवं दाल मिशन
  - 5-वर्षीय कपास प्रौद्योगिकी मिशन : इसका उद्देश्य कपास की गुणवत्ता एवं उपज में सुधार करना है। इसमें उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों और बेहतर सिंचाई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- 6-वर्षीय दाल मिशन : इसके अंतर्गत अरहर, उड़द एवं मसूर जैसी दालों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ/नेफेड (NAFED) एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) के माध्यम से 100% खरीद की गारंटी शामिल है जिससे किसानों के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है।

➢ मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा देना : मत्स्यपालन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। जलीय कृषि मत्स्य (Aquaculture Fish) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। इसके लिए सरकार निम्नलिखित प्रयास कर रही है-

- निर्यात एवं रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यपालन के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
- मछुआरों के लिए रियायती ऋण एवं बुनियादी ढाँचे का विकास
- इनसे अंतर्देशीय एवं समुद्री मत्स्यपालन को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण रोज़गार के अवसर में वृद्धि होगी।

➢ एम.एस.एम.ई. को प्रोत्साहन एवं व्यापार सुगमता : ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के लिए एम.एस.एम.ई. महत्त्वपूर्ण हैं। इसके लिए सरकार के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-

- उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक कानूनों को सरल बनाना और नियामक बाधाओं को दूर करना
- सब्सिडीयुक्त ऋण योजनाओं एवं डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय सहायता का विस्तार करना

- स्थानीय रोज़गार में वृद्धि के लिए हस्तशिल्प एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना
- इसका ध्यान ऋण तक पहुँच में वृद्धि करने और अनुपालन को आसान बनाने पर है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को फलने-फूलने में सक्षम बनाया जा सके।

➢ यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता : आयात पर निर्भरता कम करने एवं किफायती उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नए यूरिया विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए उर्वरक की कीमतों को स्थिर करना है। साथ ही, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए नैनो-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

- यह पहल आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है जिससे किसानों के लिए लागत को कम किया जा सकेगा तथा पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

निष्कर्ष

➢ सरकार की ग्रामीण आर्थिक रणनीति कृषि, एम.एस.एम.ई., मत्स्यपालन, बुनियादी ढाँचे एवं वित्तीय सशक्तीकरण पर ज़ोर देती है। बजटीय सहायता, ऋण पहुँच और उत्पादकता वृद्धि का उद्देश्य आय, रोज़गार व ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना है। प्रभावी कार्यान्वयन से सतत् विकास को बढ़ावा मिल सकता है, ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम किया जा सकता है और भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को समर्थन मिल सकता है।

भारत में महिला सशक्तीकरण के लिए बजटीय पहल

भूमिका

- महिला सशक्तीकरण समावेशी विकास का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जो लैंगिक समानता एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से बजटीय प्रावधान इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्त्व-पूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने महिलाओं के विकास के लिए संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने के लिए लिंग-उत्तरदायी बजट (GRB) को लागू किया है।

भारत में जेंडर बजटिंग

- भारत में वर्ष 2005-06 में जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई। जेंडर बजटिंग महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय की योजना बनाने, आवंटन करने एवं लेखा परीक्षण पर केंद्रित है।
- जेंडर बजटिंग के उद्देश्यों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना; कार्यबल भागीदारी एवं वेतन में लैंगिक अंतर को संबोधित करना तथा नीतियों में लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए संस्था_गत ढाँचे को मज़बूत करना है।

महिला सशक्तीकरण के लिए प्रमुख बजटीय पहल

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ : वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात में गिरावट को कम करना और बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि करना है। यह पहल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के सम_न्वित प्रयासों के माध्यम से कार्य करती है।

- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन : यह महिला-केंद्रित कार्यक्रमों के नीति-निर्माण, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय की सुविधा के लिए एक समग्र योजना है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : यह एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य व पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- महिला शक्ति केंद्र : यह ज़मीनी स्तर की एक पहल है जो ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास, रोज़गार के अवसर और डिजिटल साक्षरता प्रदान करती है।
- मिशन शक्ति : इसके दो घटक 'संबल' एवं 'सामर्थ्य' हैं। 'संबल' में 'वन स्टॉप सेंटर', 'महिला हेल्पलाइन', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'नारी अदालत' उप-घटक शामिल हैं। 'सामर्थ्य' में 'शक्ति सदन', 'सखी निवास', 'पालना' और 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना' योजना उप-घटक शामिल हैं।
- वन स्टॉप सेंटर : इसे हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और परामर्श सहित एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- कामकाजी महिला छात्रावास योजना : इसका उद्देश्य विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं किफायती आवास उप_लब्ध कराना है।
- राष्ट्रीय क्रेच योजना : इसका उद्देश्य डे-केयर सुविधाएँ प्रदान करके महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर कामकाजी माताओं को सहायता प्रदान करना है।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोज़गार कार्यक्रम को समर्थन (STEP) : इसके तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के कौशल में वृद्धि की जाती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ती है।

जेंडर बजटिंग का प्रभाव

- महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि : मनरेगा एवं मुद्रा योजना जैसी नीतियों ने महिलाओं के लिए रोज़गार दर की वृद्धि में योगदान दिया है।
- बेहतर स्वास्थ्य परिणाम : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं जननी सुरक्षा योजना जैसी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के कारण मातृ मृत्यु दर में कमी आई है।
- उन्नत वित्तीय समावेशन : स्टैंड-अप इंडिया एवं स्वयं सहायता समूह (SHG) कार्यक्रमों के तहत ऋण सहायता द्वारा समर्थित महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में वृद्धि हुई है।
- लिंग-आधारित हिंसा में कमी : वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाओं ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्र को मज़बूत किया है।

जेंडर बजटिंग से संबंधित चुनौतियाँ

- अपर्याप्त आवंटन : बजटीय आवंटन की बाध्यताएँ लिंग-संवेदनशील कार्यक्रमों के दायरे को सीमित करती हैं।
- जागरूकता का अभाव : ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी महिलाएँ भी उपलब्ध योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ रहती हैं।
- खराब निगरानी एवं मूल्यांकन : कार्यान्वयन एवं जवाबदेही में अंतराल से जेंडर बजटिंग की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न होती है।
- सामाजिक बाधाएँ : पितृसत्तात्मक मानदंड अभी भी निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं।

आगे की राह

- बजटीय आवंटन में वृद्धि : सकल घरेलू उत्पाद का एक उच्च प्रतिशत महिला-केंद्रित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

- संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करना : लिंग-संवेदनशील शासन और नीति कार्यान्वयन को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- क्षमता निर्माण एवं जागरूकता : ज़मीनी स्तर पर अभियान एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सूचना अंतराल को पाट सकते हैं।
- महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना : नीतियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता एवं शासन में नेतृत्व की भूमिका को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष

- समावेशी एवं सतत् विकास के लिए महिला सशक्तीकरण के लिए बजटीय पहल आवश्यक है। हालाँकि, इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है किंतु, लैंगिक अंतर को पाटने के लिए संसाधन आवंटन में वृद्धि, प्रभावी कार्यान्वयन एवं सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। नीतिगत सुधारों को वित्तीय सहायता के साथ जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महिलाओं की समान भूमिका हो।

स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे एवं पहुँच को मज़बूत करना

भूमिका

- केंद्रीय बजट 2025-26 चिकित्सा शिक्षा, कैंसर देखभाल, डिजिटल स्वास्थ्य पहल एवं चिकित्सा पर्यटन के लिए महत्त्वपूर्ण आवंटन के साथ स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रमुख बजटीय आवंटन एवं पहलस्वास्थ्य बजट में वृद्धि

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 99,858.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो विगत वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 95,957.87 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 3,900.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा में विस्तार

- आगामी वर्ष में 10,000 मेडिकल सीटों की वृद्धि की जाएगी तथा पाँच वर्षों में 75,000 नई सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों की कमी को दूर करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

कैंसर देखभाल और डे-केयर कैंसर केंद्र

- 200 ज़िला स्तरीय डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में उपचार की पहुँच में सुधार होगा। इससे मरीज़ों पर वित्तीय बोझ कम होने और स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण होने की उम्मीद है।

आयुष्मान भारत पहल

- आयुष्मान आरोग्य मंदिर : इसके तहत निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं शीघ्र निदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कल्याण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) : अत्यधिक स्वास्थ्य व्यय के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करने के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है जिसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कवर प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन : गहन देखभाल इकाइयों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं एवं रोग निगरानी प्रणालियों को मज़बूत करने के लक्ष्य के साथ 4,758 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन : इसका लक्ष्य डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवा पहुँच को बढ़ावा देना है।

चिकित्सा पर्यटन एवं वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र

- वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत करने और निजी-सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 'हील इन इंडिया' पहल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा देना है।

गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

- गिग श्रमिकों को औपचारिक रूप देने के लिए पहचान-पत्र और ई- श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के साथ-साथ चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय स्थिरता के लिए पेंशन एवं सामाजिक कल्याण लाभ भी संभावित हैं।

जीवन रक्षक दवाओं के लिए सीमा शुल्क छूट

- 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी की गई है। साथ ही, आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती बनाने के लिए 6 अतिरिक्त दवाएँ 5% रियायती सीमा शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट का महत्त्व एवं निहितार्थ

- डॉक्टरों की कमी दूर होगी तथा भारत के चिकित्सा शिक्षा ढाँचे को मज़बूती प्रदान होगी।
- कैंसर देखभाल की सुलभता में वृद्धि होगी, जिससे मेट्रो अस्पतालों पर बोझ कम होगा।
- डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को मज़बूत करने से रोगियों के रिकॉर्ड एवं निदान में कोई बाधा नहीं आएगी।
- इससे चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विदेशी मुद्रा आय एवं स्वास्थ्य देखभाल निवेश में वृद्धि होगी।

- यह गिग श्रमिकों एवं वंचित मरीज़ों सहित कमज़ोर समूहों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

- केंद्रीय बजट 2025-26 में समग्र स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें बुनियादी ढाँचे के विस्तार, चिकित्सा शिक्षा, डिजिटल परिम्र वर्तन एवं वित्तीय समावेशन को एकीकृत किया गया है। ये पहलें सार्वभौ- मिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं जो भारत के एक लचीले एवं समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को मज़बूत करती हैं।